प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 06/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

एनटीओ 2.0 उपभोक्ताओं को चैनल चुनने की आजादी सुनिश्चित करने के साथ हितधारकों को अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने की आजादी देता है, जिससे क्षेत्र का बेहतर विकास होने की संभावना है।

नई दिल्ली 13 जनवरी 2020: भादूविप्रा ने 1 जनवरी 2020 को प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए विनियामक फ्रेमवर्क में संशोधन जारी किए हैं। संशोधनों द्वारा उपभोक्ताओं के सामने आने वाले शुरुआती मुद्दों का समाधान किया गया है, जबकि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रसारकों और डीपीओ के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। ये संशोधन बाजार में कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए हैं, जिनकी समीक्षा क्षेत्र के उचित विकास के लिए आवश्यक थी।

2. पिछले साल प्रस्तुत नया फ्रेमवर्क व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सामंजस्य बिठाने, हितधारकों के बीच विवादों को कम करने, उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड पर हर चैनल की कीमत प्रदर्शित करके चैनल मूल्य निर्धारण में स्पष्टता लाने और पारदर्शी ग्राहक रिपोर्टिंग को सक्षम करने में काफी सफल रहा है। पारदर्शिता ने बेहतर कर अनुपालन की शुरुआत की है जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है। नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) और एमआरपी आधारित पे चैनल की कीमतों ने स्पष्ट राजस्व स्ट्रीम सुनिश्चित किया है कि राजस्व प्रसारकों, डीपीओ और एलसीओ के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाए। एनसीएफ डीपीओ के लिए पर्याप्त रिटर्न की सुविधा देता है, जिससे उनके नेटवर्क को उन्नत करने की सुविधा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे रही है और व्यापार की निश्चितता सुनिश्चित करती है। प्रसारकों को अपने टेलीविज़न चैनल्स की कीमत तय करने की पूरी आज़ादी और लचीलापन मिलने से भी फायदा हुआ। हालांकि, सेवा प्रदाताओं के एक समूह द्वारा उपलब्ध लचीलेपन के दुरुपयोग के कारण उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल चुनने के वांछित लाभ को पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका।

[1] भादूविप्रा ने 1 जनवरी, 2020 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 1), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं – सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 2) और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश (दूसरा संशोधन), 2020 (2020 का 1) जारी किए हैं। जो https://main.trai.gov .in/notifications/press-release/trai-releases-amendments-tariff -order-interconnection-regu lations-and पर उपलब्ध हैं।

3. एनटीओ 2.0 उपभोक्ताओं को ए–ला–कार्टे या चैनलों के बुके के रूप में अपनी पसंद के चैनल चुनने की सुविधा देता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि ए–ला–कार्टे चैनलों की कीमतों के बारे में भ्रम न हो। उपभोक्ता अब अधिकतम 130 रु. प्रतिमाह के नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) पर अपनी पसंद के 200 चैनल चुन सकते हैं, जिसमें प्रसार भारती के अनिवार्य चैनल शामिल नहीं हैं। एक से अधिक टीवी वाले घरों के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, अब उन्हें घर में हर दूसरे और अतिरिक्त टीवी के लिए केवल 40 प्रतिशत एनसीएफ का भुगतान करना होगा। टीवी चैनल प्रतिमाह के लिए प्रसारक द्वारा डीपीओ को देय अधिकतम कैरेज शुल्क निर्धारित करके एफटीए, समाचार और क्षेत्रीय प्रसारकों की चिंताओं का भी समाधान किया गया है। एमएसओ, आईपीटीवी प्रदाताओं, हिट्स ऑपरेटर को यह अधिदेश दिया गया है कि उनका लक्षित बाजार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिक नहीं हो सकता है, जैसा कि मामला हो । इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में हेरफेर करके दुरुपयोग करने वाले कुछ डीपीओ द्वारा प्लेसमेंट शुल्क के संबंध में सभी प्रसारकों की चिंताओं को भी दूर किया गया है।

4. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्रसारक अपने चैनल की कीमत के लिए पूर्ण लचीलापन जारी रख सकते हैं क्योंकि किसी भी चैनल का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रविरत है। एनटीओ 2.0 इस अधिदेश के साथ ए–ला–कार्टे मूल्य और बुके के बीच संबंध को निर्धारित करता है कि एक बुके में ए–ला–कार्टे चैनलों का योग बुके के मूल्य के 1.5 गुना से अधिक नहीं होगा। यह शर्त भी निर्धारित की गई है कि एक ला–कार्टे चैनल का एमआरपी 12 रु. प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए जो उस बुके में शामिल है जो पहले 19 रु. था। कुछ प्रसारकों द्वारा मूल्य निर्धारण सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम आवश्यक हो गए हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एनटीओ के कार्यान्वयन के बाद, कुछ प्रसारकों ने अपने चैनल की कीमतों में भारी वृद्धि की, जो कि अधिकांश मामलों में 100 प्रतिशत से अधिक थी। इस तरह की मूल्य वृद्धि उपभोक्ता विरोधी है और विनियामक हस्तक्षेप को मजबूर करती है। भादूविप्रा का मानना है कि चैनल मूल्य की बाजार खोज को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी तंत्र को अपनाने की जरूरत है, लेकिन गैर–पारदर्शी मूल्य निर्धारण पद्धतियों या अन्य समान साधनों के माध्यम से उपभोक्ता की पसंद की पड़ताल करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

5. एक से अधिक टीवी वाले घर चिंता का एक और क्षेत्र रहे हैं। ऐसे उदाहरण हैं कि एक घर में प्रत्येक टीवी के लिए एनसीएफ लिया जा रहा था, जबकि एक घर में अतिरिक्त टीवी के लिए सुविधा प्रदान करने की लागत बहुत कम थी। भादूविप्रा का मानना है कि एक से अधिक टीवी वाले घरों के लिए डीपीओ को केवल ग्राहकों से वृद्धिशील लागत लेनी चाहिए। तदनुसार, भादूविप्रा ने अनिवार्य किया है कि एक घर में दूसरे और किसी भी अतिरिक्त टीवी के लिए डीपीओ एनसीएफ के केवल 40 प्रतिशत ले सकते हैं।

6. उपर्युक्त के अलावा, ऐसे मामले भी थे, जहां बड़े डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) द्वारा अधिक कैरेज शुल्क की मांग कर रहे थे। इसके अलावा, जैसा कि डीपीओ हर साल चैनल नंबर बदल सकते हैं, वे कुछ प्रसारकों से भारी प्लेसमेंट शुल्क की मांग कर रहे थे। क्षेत्रीय प्रसारकों और छोटे चैनलों को अपने चैनलों को प्लेटफार्म से हटाने के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनकी पैठ कम थी। इन मुद्दों का भी समाधान किया गया है और प्रत्येक प्रसारक के लिए समान अवसर मुहैया कराए गए हैं ताकि क्षेत्र विकसित हो सके।

7. एनटीओ 2.0 के माध्यम से संशोधनों के उचित कार्यान्वयन से संबंधित शुरुआती समस्याओं का समाधान करने के लिए लक्षित बहुत मामूली संशोधनों के साथ नियामक फ्रेमवर्क की बुनियादी संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह प्रसारकों/डीपीओ को उनकी सेवाओं की कीमत तय करने की पूरी आजादी प्रदान करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को टीवी चैनल चुनने की स्वतंत्रता मिले। समीक्षा कुछ उपभोक्ता हितैषी उपायों तक सीमित है, जिनमें हितधारकों के हित को संतुलित करने के उपाय शामिल हैं। इन नए उपायों का सारांश नीचे दिया गया है:

I. अब एक उपभोक्ता 130 रुपये प्रतिमाह के मूल एनसीएफ में 200 एसडी (जमा अनिवार्य चैनल) टेलीविजन चैनलों का आनंद ले सकता है। इसके अलावा चैनलों की अधिक संख्या के लिए भी अधिकतम शुल्क 160 रु. प्रति माह से अधिक नहीं होगा। इससे प्रसारकों, विशेषकर समाचार और क्षेत्रीय एफटीए चैनलों को भी लाभ होगा, क्योंकि उनके चैनलों की

सब्सक्रिप्शन की संभावना अधिक है।

II. एक से अधिक टीवी वाले घरों के लिए एनसीएफ में छूट का प्रावधान। डीपीओ बहु–टीवी घर में प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एनसीएफ के 40 प्रतिशत से से अधिक नहीं ले पाएंगे।

III. समय की कसौटी पर खरे उतरे और उद्योग द्वारा स्वीकृत दोहरी–शर्तों को शुरू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ए–ला–कार्टे और बुके आधार पर पे चैनलों की कीमतों के बीच एक उचित संबंध है:

IV. किसी भी बुके में शामिल करने के लिए पे चैनल की उच्चतम कीमत को 19 रु. से घटाकर 12 रु. करना ताकि बुकों की उचित पैकेजिंग सुनिश्चित की जा सकें। यह ए–ला–कार्टे आधार पर एक चैनल का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा।

V. अपने सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न जगहों/क्षेत्रों के लिए अलग–अलग एनसीएफ घोषित करने के लिए डीपीओ के लिए लचीलापन। यह प्रावधान डीपीओ को ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों में कम एनसीएफ के परिणामस्वरूप उनके टैरिफ प्रस्तावों में स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए कुछ नया करने में मदद करेगा।

VI. प्रचार योजनाओं की पेशकश करने के लिए डीपीओ के लिए लचीलापन। वे एनसीएफ और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्राइसेज (डीआरपी) पर भी लंबी अवधि के सब्सक्रिप्शन पर छूट दे सकते हैं, जिसकी अवधि 6 महीने या उससे अधिक है।

VII. डीपीओ के लिए अधिकतम 4 लाख रु. स्टैंडर्ड डेफिनेशन (एसडी) चैनल प्रतिमाह। यह समाचार, क्षेत्रीय और आला चैनलों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।

VIII. डीपीओ को भाषा या शैली के आधार पर ईपीजी पर टेलीविजन चैनलों को व्यवस्थित करने के लिए पूर्ण लचीलापन। यह प्रावधान उपभोक्ताओं और प्रसारकों के हितों की रक्षा करेगा, जो डीपीओ द्वारा विगत में मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं। यह क्षेत्रीय और छोटे प्रसारकों को डीपीओ द्वारा किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचाएगा।

8. संशोधन कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को उचित समय प्रदान करते हैं। प्रसारक 15 जनवरी 2020 तक ए–ला–कार्टे चैनलों और बुके के संशोधित एमआरपी प्रकाशित कर सकते हैं। इसी तरह, डीपीओ 30 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पर संशोधित प्रस्ताव प्रकाशित कर सकते हैं। 1 मार्च 2020 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे। संशोधन बेहतर प्रस्ताव, एनसीएफ को कम करने, अधिक लचीली टैरिफ योजनाओं और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेंगे।

9. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए नीचे दिए अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

क) श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार– 2 (बीएंडसीएस), 011–23237922
ख) श्री अरविंद कुमार, सलाहकार– 1 व 3 (बीएंडसीएस, 011–23220209

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।